(14)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

विद्या–परिषद् की 14वीं बैठक दिनांक–14.07.2017

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या–परिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 14.07.2017 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में स्थित सभा–कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए :–

प्रो0 पी.के. दशोरा — **अध्यक्ष**
माननीय कुलपति,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2. **डॉ0 बाबूलाल शर्मा** — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य
प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय,
कोटा

3. **डॉ0 विजय कुमार पंचोली** — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य
व्याख्याता, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय,
कोटा

4. **प्रो0 एन.के. जैमन** — सदस्य
अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
समन्वयक, पाठ्यक्रम समिति, भौतिकी

5. **प्रो0 राजीव जैन** — सदस्य
अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय

6. **डॉ0 कृष्णकान्त शर्मा** — सदस्य
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
प्राचार्य, भगवती टी.टी. महाविद्यालय,
सवाईमाधोपुर

7. **डॉ0 राजकुमार उपाध्याय** — सदस्य
अधिष्ठाता, विधि संकाय
प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय,
झालावाड़

8. **प्रो0 रीना दाधीच** — सदस्य
विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विभाग
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य

9. **डॉ0 अनिता सुखवाल** — सदस्य
सह–आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धन विभाग,
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित सह–आचार्य

10. **प्रो0 आशुरानी** — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, रसायन शास्त्र

11. **डॉ0 रूपवती पीपल** — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अर्थशास्त्र

12. **डॉ0 मन्जू गुप्ता** — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, समाज शास्त्र

13. **डॉ0 सुनिता माथुर** — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अंग्रेजी

14. **डॉ0 नादिरा खातून** — सदस्य
संयोजक, पाठ्यकम समिति, उर्दू

15. **डॉ0 लीला मोदी** — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, हिन्दी

16. **डॉ0 हासो दादलानी** — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, सिन्धी

17. **श्री चन्द्रजीत सिंह** — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, विधि

18. डॉ0 एस.के. श्रृंगी — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, वनस्पति शास्त्र

19. डॉ0 पी.सी. उपाध्याय — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, संस्कृत

20. डॉ0 एम.जेड.ए. खान — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भूगोल

21. डॉ0 मोहन लाल साहू — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, इतिहास

22. डॉ0 रीना खनूजा — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गृह विज्ञान

23. डॉ0 जागे राम — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, लोक प्रशासन

24. डॉ0 राजेश कुमार शर्मा — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गणित

25. डॉ0 प्रहलाद दुबे — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, प्राणी शास्त्र

26. डॉ0 मनमोहन शर्मा — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ए.बी.एस.टी.

27. डॉ0 सुषमा सिंह — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, शिक्षा

28. डॉ0 एस.एन. गर्ग — विशेष आमंत्रित सदस्य

29. डॉ0 संदीप सिंह चौहान — सदस्य सचिव
कुलसचिव

संदीप चौहान

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर; आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; डॉ. राजेन्द्र शर्मा, सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; डॉ. ग्यारसीलाल जाट, व्याख्याता, राजकीय वाणिज्य पी.जी. महाविद्यालय, सीकर; डॉ. प्रेरणा शर्मा, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भारतीय संगीत; डॉ. इरफान अहमद, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, दर्शन शास्त्र; डॉ. रेणू शर्मा, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, राजनीतिक विज्ञान; डॉ. ए.के. जैन, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, व्यावसायिक प्रशासन बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक का प्रारम्भ माँ सरस्वती की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। बैठक प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में विगत दिनों हुई विभिन्न उपलब्धियों/गतिविधियों के सम्बंध में सदन को अवगत करवाया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

- विवेकानन्द जयंती के अवसर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें डॉ. महेश शर्मा मुख्य वक्ता थे।
- सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया।
- महिला दिवस पर विश्वविद्यालय की महिला प्रकोष्ठ द्वारा जेल में बंद महिला कैदियों के उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार इस वर्ष 28 फरवरी 2017 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस "दिव्यागों के उत्थान के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान" नामक विषय पर मनाया गया।
- सत्र 2017–18 से विज्ञान में स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणी शास्त्र में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं। समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।
- इस सत्र से सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर स्कीम को लागू किया जा रहा है।
- आप सभी के सहयोग से सभी पाठ्यक्रमों की BOS/COC की बैठकें समय पर आयोजित की जा चुकी है। संशोधित/अद्यतन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वेबसाइट पर अपने–अपने पाठ्यक्रमों को चैक कर, सुनिश्चित कर लें कि पाठ्यक्रम संशोधितानुसार है अथवा नहीं।

- राज्य सरकार द्वारा बी.एस.टी.सी.–2017 प्रवेश परीक्षा व काउंसलिंग कराने का कार्य कोटा विश्वविद्यालय को दिया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय पर प्रवेश परीक्षा सम्बंधी कार्य पूर्ण कर लिया गया है; काउंसलिंग कार्य प्रकियाधीन है।

- विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक व सेमेस्टर स्कीम की सभी परीक्षाऐं समय पर करवायी गई तथा उनके परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित किये गये।

- वर्तमान में विश्वविद्यालय में अम्बेडकर पीठ, स्वामी विवेकानंद पीठ तथा वंशावली लेखन एवं परम्परा अध्ययन शोध पीठ स्थापित की जा चुकी है। पी.टी.ई.टी. व बी.एस.टी.सी. आय से जो बचत विश्वविद्यालय को होगी, उस राशि से विश्वविद्यालय में निकट भविष्य में पं0 दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ तथा सिंधु अध्ययन शोध पीठ भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

- माननीय कुलाधिपति व राज्यपाल महोदय के निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय का कुलगीत तैयार कर उसे लयबद्ध भी कर लिया गया है। दिनांक 20.07.2017 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में कुलगीत का लोकार्पण माननीय कुलाधिपति व राज्यपाल महोदय के कर–कमलों से करवाया जाना प्रस्तावित है।

- विश्वविद्यालय का 15वां स्थापना दिवस दिनांक 7 जून 2017 को प्रथम बार समारोहपूर्वक मनाया गया। स्वामी विवेकानंदजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने दुगुने जोश के साथ कार्य सम्पादन संकल्प भी लिया। इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस को भी मनाते हुये विश्वविद्यालय में स्वच्छता अभियान के साथ पर्यावरण चेतना व्याख्यान तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ व निर्मल गंगा अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 21.06.17 को विश्वविद्यालय में भी योग दिवस मनाया गया।

- माननीय कुलाधिपति व राज्यपाल महोदय के निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय परिसर में सौ फीट ऊँचाई पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किये जाने हेतु सम्पूर्ण तैयारियां की जा चुकी है। राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निविदा जारी कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है। भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्त उल्लेखित समस्त उपलब्धियाँ माननीय विद्या–परिषद् के मार्गदर्शन, सम्बल एवं विश्वास के फलस्वरूप प्राप्त हो सकी हैं इसके लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन का आभार व्यक्त किया गया। माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ने उक्त उल्लेखित उपलब्धियाँ अर्जित की गई है, सदन द्वारा माननीय कुलपति महोदय को बधाई दी गई तथा उनके प्रयासों की सराहना की गयी।

इसके पश्चात् प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा विधिवत रूप से प्रारम्भ हुई :–

मद संख्या– 1	:	**विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की 13वीं बैठक दिनांक 06.01.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या– 2	:	**विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2017 में लिये गये निर्णयों के सम्बंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की 13वीं बैठक दिनांक 06.01.2017 की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नानुसार सुझावों/कार्यवाही के अध्यधीन अनुमोदन किया गया – मद सं. 8. के निर्णय में नवीन शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के सृजन के अन्तर्गत कुल 234 पदों के प्रस्तावों को विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया था किन्तु 8 पद लेखा संवर्ग के उक्त प्रस्तावों में सम्मिलित कर विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.01.2017 में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कुल 242 पदों के प्रस्तावों को राज्य सरकार को स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किये गये। मद सं. 10 के निर्णय में सत्र 2018–19 से बी.एड. (विशेष शिक्षा) व डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता व निरीक्षण शुल्क के निर्धारण हेतु गठित होने वाली समिति को दिशा–निर्देश देने के क्रम में विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों ने बी.एड. (विशेष शिक्षा) में प्रवेशित छात्रों की सीटों की संख्या तथा उनसे लिया जाना वाला प्रवेश शुल्क के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम (सामान्य) की निर्धारित सम्बद्धता शुल्क से एक से दोगुना तक की सीमा में निर्धारित करने की अनुशंसा की। उक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु किये जाने वाले निरीक्षण के लिये निरीक्षण समिति के गठन में मनोविज्ञान विशेषज्ञ, मनोरोग चिकित्सक एवं उनसे सम्बंधित विषयों के विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किये जाने की भी संभावना व्यक्त की गई। मद सं0 11 के निर्णय की कार्यवाही के संबंध में माननीय सदस्यों को राजभवन से प्राप्त विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षान्त समारोह की तिथि दिनांक 20.07.2017 तथा उससे सम्बंधित तैयारियों से अवगत करवाया गया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा सहर्ष पारित किया गया।
मद संख्या– 3	:	**माननीय कुलपति महोदय के निम्न आदेशों को रिपोर्ट करना ।** 1. वर्ष 2017 में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन सम्बंधी आदेश। 2. विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा सत्र 2017–18 के लिए पाठ्यक्रम निर्माण अथवा संशोधन करने हेतु आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन सम्बंधी आदेश।

निर्णय	:	माननीय कुलपति महोदय द्वारा वर्ष 2017 में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन सम्बंधी आदेशों को पारित किया गया। साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा सत्र 2017–18 के लिए पाठ्यक्रम निर्माण अथवा संशोधन करने हेतु आयोजित बैठकों में प्रस्तावित नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के अतिरिक्त शेष कार्यवृत्तों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन सम्बंधी आदेशों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या– 4	:	**शोध मण्डल की बैठक दिनांक 01.06.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	शोध मण्डल की बैठक दिनांक 01.06.2017 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या– 5	:	**शोध अभ्यर्थी को मरणोपरान्त मौखिक परीक्षा आयोजन के बिना शोध उपाधि प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	शोधार्थी स्व. श्री गोपीलाल मेहरा का शोध विषय रजिस्टर्ड होने से अन्य अभ्यर्थी द्वारा उक्त विषय पर शोध न कर पाने की स्थिति को देखते हुये, शोध कार्य का लाभ दूसरों को भी मिले तथा अन्य शोधार्थियों के लिये प्रेरणास्पद रहे आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये सभी माननीय सदस्यों द्वारा एक मत से शोधार्थी को मरणोपरान्त मौखिक परीक्षा आयोजन के बिना शोध उपाधि प्रदान करने के प्रस्ताव को पारित किया गया। साथ ही उक्त प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन पश्चात् ही लागू किये जाने की अभिशंसा की गई।
मद संख्या– 6	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा तथा बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर के मध्य हुए अनुबंध (एम.ओ.यू.) के बारे में रिपोर्ट करना तथा कोटा विश्वविद्यालय में स्थापित अम्बेडकर शोधपीठ के "प्रावधानों (Provisions) एवं गतिविधियों का दायरा" (Scope of Activities) के विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा तथा बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर के मध्य हुए अनुबंध (एम.ओ.यू.) तथा कोटा विश्वविद्यालय में स्थापित अम्बेडकर शोधपीठ के "प्रावधानों (Provisions) एवं गतिविधियों का दायरा" (Scope of Activities) के विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या– 7	:	**(अ) विश्वविद्यालय में स्थापित की गई स्वामी विवेकानंद शोधपीठ के "प्रावधानों एवं गतिविधियों का दायरा" (Provisions and Scope of Activities) का अनुमोदन करना।**
	:	

निर्णय		विश्वविद्यालय में स्थापित की गई स्वामी विवेकानंद शोधपीठ के "प्रावधानों एवं गतिविधियों का दायरा" (Provisions and Scope of Activities) के विवरण को माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय में स्थापित स्वामी विवेकानंद शोधपीठ तथा विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में "विज्ञान, अध्यात्म व स्वामी विवेकानंद" विषय पर 19 से 20 सितम्बर 2017 को दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या– 8	:	**अन्य बिन्दु, आसन की अनुमति से।**
		सदन की अनुमति से निम्नांकित विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है –
निर्णय	:	i. विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवन के नामकरण के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के उपरान्त माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से "संस्कृति भवन" रखे जाने की अनुशंसा की। विश्वविद्यालय में निर्मित अकादमिक भवन–1 का भी नामकरण करने हेतु समिति का गठन करने के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। ii. विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित एम.एस.सी. पाठ्यक्रम में दो प्रकार से प्रवेश दिया जाता है, जिसमें एक में तो विद्यार्थी स्वतंत्र वरीयता सूची के आधार पर प्रवेशित होते है व दूसरे संयुक्त बी.एस.सी.–एम.एससी. पाठ्यक्रम में विद्यार्थी सीधे प्रवेश पाते है। विद्यार्थियों द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि दोनों माध्यमों में प्रवेशित छात्रों से लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क भिन्न–भिन्न है तथापि विद्यार्थियों को विभाग द्वारा समान सुविधायें प्रदत्त कर अध्यापन कार्य कराया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया गया कि प्रतिवर्ष प्रवेश शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि केवल नये प्रवेशित विद्यार्थियों पर ही लागू होना चाहिए एवं पूर्व प्रवेशित छात्रों को इस वृद्धि से पूर्णतः वंचित रखने हेतु आग्रह किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त उल्लेखित दोनों प्रकरणों को विशेष वित्त समिति की बैठक आहुत कर विचार–विमर्श करने हेतु रखा गया। बैठक में यह अनुशंसा की गई कि संयुक्त बी.एस.सी.–एम.एस.सी. पाठ्यक्रम के समस्त प्रवेशित विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर उल्लेखित एम. एस.सी. भौतिक शास्त्र के समान रखा जाये। प्रतिवर्ष प्रवेश शुल्क वृद्धि के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की गई कि सत्र 2017–18 के लिये पूर्व प्रवेशित छात्रों से शिक्षा शुल्क में 5 प्रतिशत वृद्धि तथा नवप्रवेशित छात्रों से 10 प्रतिशत कुल शुल्क में वृद्धि कर पुनर्निर्धारित प्रवेश शुल्क लिया जावे। समिति की उक्त अनुशंसाओं को सदन द्वारा पारित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय में संचालित संयुक्त बी.एस.सी.–एम.एस.सी.

		पाठ्यक्रम में भविष्य में बी.एस.सी. प्रथम वर्ष के स्तर पर प्रवेश नही दिया जाकर इसे धीरे–धीरे चरणबद्ध रूप में (in phase out manner) बंद करने का निर्णय लिया गया।
	iii.	विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों के समन्वयकों द्वारा अन्तर्विषयक शोध कार्य करवाने हेतु प्रस्ताव शोध मण्डल की बैठक दिनांक 01.06.2017 में अनुमोदनार्थ रखा गया, जिस पर शोध मण्डल द्वारा अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया तथा उक्त प्रस्तावों पर विचार–विमर्श कर अभिशंषा देने हेतु समिति को अधिकृत किया। उक्त समिति द्वारा बैठक कर अभिशंषा की गई कि इस तरह के प्रकरण विषय से सम्बंधित विषय विशेषज्ञों के समक्ष रखना उचित होगा जिस विषय में अन्तर्विषयक विषय की शोध उपाधि प्रदान की जायेगी। उक्त समिति द्वारा शोध विभाग से उन विषयों की सूची उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया, जिनमें अन्तर्विषयक छात्रों ने शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। शोध विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित एम.ए. हेरिटेज टूरिज्म एण्ड म्यूज्योलॉजी पाठ्यक्रम के छात्रों ने इतिहास विषय (समकक्ष विषय) में शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है तत्पश्चात् इतिहास विषय के विषय विशेषज्ञों व अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान की गठित समिति की बैठक में उक्त प्रकरण को रखा गया। समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि हेरिटेज म्यूज्योलॉजी इतिहास विषय से संबंधित विषय है अतः इस विषय के छात्रों को इतिहास विषय की शोध उपाधि प्रदान की जा सकती है। उक्त अभिशंषा को विचार–विमर्श पश्चात् विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि इस प्रकार की अर्न्तविषयक शोध उपाधि किसी भी नौकरी के लिये न्यूनतम अर्हता के रूप में स्वीकार करने के मामले में सम्बंधित संस्था का निर्णय ही मान्य होगा।
	iv.	सत्र 2017–18 से विश्वविद्यालय में शुरू किये गये एक वर्षीय डिप्लोमा व छः माही सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी के सम्बंध में "विश्वविद्यालय छात्रसंघ संविधान 2010" के बिन्दु संख्या 8(b) की व्याख्या हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा संविधान बिन्दु संख्या 29 के तहत् गठित समिति द्वारा यह स्पष्ट अनुशंषा की गई है कि– "उक्त संदर्भ एवं विवेचित विषयान्तर्गत विद्यार्थियों को छात्रसंघ चुनाव में भाग लेने एवं निर्धारित घोषित पदों पर चुनाव लड़ने का अधिकार देना नियमों की परिधि में अनुचित होगा"। उक्त विषय में यदि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होते हैं तो उनकी अनुपालना की जावेगी। गठित समिति की अनुशंषाओं को सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संदीप चौधरी

		v. मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय में कौशल विकास को प्रोत्साहित किये जाने के दृष्टिकोण से Centre for Entrepreneurship and Small Business Management की स्थापना की गई है। उक्त केन्द्र में सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रारम्भ किये जाने के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिणाम उन्मुखी पाठ्यक्रम उक्त केन्द्र के अधीन संचालित किये जावे तथा पाठ्यक्रम की प्रकृति के अनुरूप पाठ्यक्रम की अवधि निर्धारित की जावे।
		vi. विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम–समन्वयकों की नियुक्ति की जाती है तथा उनको राशि रूपये 1500/– प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिये जाते है। उक्त मानदेय में वर्ष 2007 के पश्चात् कोई अभिवृद्धि नहीं की गई है इस हेतु अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन द्वारा पाठ्यक्रम समन्वयकों के मानदेय में अभिवृद्धि का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया। सदन द्वारा पूर्व में दिये जा रहे मानदेय को सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित 2.75 प्रतिशत तक की अभिवृद्धि करते हुये सत्र 2017–18 से भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
		vii. डॉ. बाबूलाल शर्मा, माननीय सदस्य एवं प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा तथा डॉ. एम.जेड.ए. खान, माननीय सदस्य ने पुनर्गठित नवीन राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी सम्बद्धता तथा परीक्षा केन्द्र प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त किया। साथ ही अनुरोध किया कि मूल महाविद्यालय में जिन–जिन संकायों/विषयों में अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान तथा अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ संचालित होती थी उसी प्रकार नवीन पुर्नगठित महाविद्यालयों को स्वतंत्र मानते हुये विश्वविद्यालय द्वारा सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों को शेष सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय शीघ्र निर्देश जारी करें।

विश्वविद्यालय के पूर्व प्रबन्ध मण्डल सदस्य एवं पर्यावरणविद डॉ० लक्ष्मीकान्त दाधीच के निधन पर सदन द्वारा गहरा शोक प्रकट किया गया तथा दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

अन्त में कुलपति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

(डॉ० संदीप सिंह चौहान)
कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव